न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री राहुल जैन, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती शारदा पत्नि श्री प्रेमाराम, जाति भील, निवासी ओरिया, आबूपर्वत		श्री वनसिंह पुत्र लालसिंह, जाति परमार, निवासी ओरिया व अन्य – 2

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2022

दिनांक 15.02.2023

आदेश

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा अचलगढ पटवार क्षेत्र ओरिया , भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत में प्रार्थीया के खातेदारी, स्वामित्व की निम्नलिखित कृषि भूमि आयी हुई है :–

खसरा संख्या	रकबा	किस्म
73	0.0632 हैक्टेयर	गै.मु. गढ्ढा
74	0.0759 हैक्टेयर	ब–2
75	0.1265 हैक्टेयर	ब–2
76	0.0632 हैक्टेयर	ब–2
77	0.0506 हैक्टेयर	ब–2
78	0.2908 हैक्टेयर	ब–2
79	0.0126 हैक्टेयर	गै.मु. पत्थर
80	0.0506 हैक्टेयर	ब–2
81	0.0379 हैक्टेयर	ब–2
82	0.0379 हैक्टेयर	ब–2
83/1	0.0506 हैक्टेयर	बंजर
84	0.1012 हैक्टेयर	ब–2
कुल कीता –12	रकबा 2.7200 हैक्टेयर	

यह कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि पर जाने हेतु कोई राजस्व रोड नही है। यह कि वादीया की कृषि भूमि पर जाने हेतु निकटत पहूँच मार्ग अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा संख्या 94, तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खसरा संख्या 103,104,105 है, जिससे लगते हुऐ अप्रार्थी संख्या 2 की खसरा संख्या 107 का लॉर स्थित है जो खसरा संख्या 105 से लगते हुऐ खसरा संख्या 98 किस्म गै.मु. सडक राज्य सरकार के नाम रेकर्ड में दर्ज है से लगते हुऐ खसरा संख्या 133 रास्ते पर जाकर मिलता है। इससे निकटतम मार्ग प्रार्थीया की भूमि पर जाने हेतु उपलब्ध नही है। प्रार्थीया की कृषि भूमि से लगते हुऐ खसरा संख्या 93 व 90 की भूमि भी आई हुई है परन्तु खसरा संख्या 90 आबादी भूमि है जहां से भी कोई पहूँच मार्ग स्थित नही है। यह कि प्रार्थीया स्वयं के खातेदारी की खसरा संख्या 78 से लगते हुऐ अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 94, 103, 104, 105 में 20 फीट रास्ता स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि पर जाने हेतु प्राप्त करना चाहती है। यह कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में 20 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण [illegible] नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 09.01.2023 [illegible] अप्रा[illegible] सं. 1 व 2 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किये गये [illegible] जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा अचलगढ पटवार क्षेत्र ओरिया, भू.अ. निरी[illegible] क्षेत्र आबूपर्वत तहसील [illegible] प्रार्थीया श्रीमति शारदा पत्नी प्रेमाराम जाति भील के नाम की [illegible]तेदारी भूमि जमाबंदी खा[illegible] 26 खसरा संख्या 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83/1 व 84 [illegible] किता 12 कुल रकबा [illegible] है. आई हुई है। यह कि राजस्व रेकर्ड अनुसार कोई रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी भूमि तक नही जाता है। यह कि ग्राम अचलगढ का खसरा संख्या 94 रकबा 0.1012 है. किस्म बारानी–2 की खातेदारी भूमि राम इन रिसोर्ट्स अहमदाबाद की खातेदारी भूमि है। खसरा संख्या 94,103,104व 105 में से प्रार्थीया को रास्ता दिया भी जाता है तो वो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि तक सीधा नही पहुंच पायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वर्तमान में प्रार्थीया द्वारा श्री अचलेश्वरजी महोदव स्थानदेह व्यवस्थापक देवस्थान बोर्ड सिरोही की खातेदारी भूमि एवं खसरा संख्या 72 रकबा 1.5174 है. किस्म बारानी–2 देवा पुत्र चुना जाति गरासिया की खातेदारी भूमि में से आना जाना किया जा रहा है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया। यह प्रकरण प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 94, 103, 104, 105 में से 20 फीट रास्ता प्राप्त करने हेतु पेश किया गया है।

धारा 251 ए के अंतर्गत 2 बिन्दु मुख्यतः विचारणीय है :-

प्रार्थीगण को रास्ता धारा 251 ए के अंतर्गत तभी दिया जा सकता है जव उसे उस रास्ते की परम आवश्यकता हो एवं उसके पास कोई विकल्प उपलब्ध नही हो केवल सुविधा के लिये नही दे सकते है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त स्थल का मौका भी देखा गया। स्टेट के जवाब के अनुसार खसरा संख्या 94, 103, 104 व 105 में से प्रार्थीया को रास्ता दिया भी जाता है तो वे प्रार्थीया की खातेदारी भूमि तक सीधा नही पहुंच पायेगा व वर्तमान में प्रार्थीया द्वारा श्री अचलेश्वरजी महादेव स्थानदेह व्यवस्थापक देवस्थान बोर्ड सिरोही की खातेदारी भूमि एवं खसरा संख्या 72 रकबा 1.5174 है. किस्म बारानी–2 देवा पुत्र चुना जाति गरासिया की खातेदारी भूमि में से आना जाना किया जा रहा है तथा ग्राम अचलगढ़ का खसरा संख्या 94 रकबा 0.1012 है. किस्म बारानी– 2 की खातेदारी भूमि साम इन रिसोर्ट्स अहमदाबाद की खातेदारी भूमि है जबकि साम इन रिसोर्ट्स अहमदाबाद को उक्त प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राहुल जैन) I.A.S.
सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested